रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-27032025-262012
CG-DL-E-27032025-262012

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1455]	नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 27, 2025/चैत्र 6, 1947
No. 1455]	NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 27, 2025/CHAITRA 6, 1947

रसायन और उर्वरक मंत्रालय

(औषध विभाग)

(राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण)

आदेश

नई दिल्ली, 27 मार्च, 2025

का.आ. 1473(अ).—राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण, औषध विभाग, रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय द्वारा कोरोनरी स्टेंट्स के अधिकतम मूल्य निर्धारण के संबंध में जारी अधिसूचनाओं का.आ. 639(अ) दिनांक 12.02.2018, 1464(अ) दिनांक 02.04.2018, 1488(अ) दिनांक 29.03.2019, 1217(अ) दिनांक 25.03.2020,1334(अ) दिनांक 25.03.2021, 1502(अ) दिनांक 30.03.2022, 5249(अ) दिनांक 11.11.2022, 1572(अ) दिनांक 31.03.2023, 4663(अ) दिनांक 25.10.2023, 1551(अ) दिनांक 26.03.2024 और 1605(अ) दिनांक 03.04.2024 जारी में उस सारणी के स्तंभ (4)में विनिर्दिष्ट अधिकतम कीमत के संबंध में यह निर्णय लिया गया है कि वर्ष 2023 की अपेक्षा वर्ष 2024 के लिए @1.74028% की दर से थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) पर विचार करने के बाद एतद्वारा कोरोनरी स्टेंट्स के वर्णित अधिकतम मूल्यो, वस्तु एवं सेवा कर, यदि कोई है, को छोड़कर, इस सारणी के स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट अधिकतम कीमत, स्तंभ (3) में वर्णित इकाई के मद्देनजर दिनांक **1.4.2025** से निम्न प्रकार से संशोधित किया जाता है:

सारणी

क्र.सं.	(कोरोनरी स्टेंट्स) (डीपीसीओ, 2013 की अनुसूची- I में क्र.सं.28)	इकाई (संख्या में)	अधिकतम कीमत (थोक मूल्य सूचकांक सहित **1.74028%** की दर से **1.4.2025** से प्रभावी (रुपये में)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	सादे धातु स्टेंट	1	10692.69
2	औषध क्षालन स्टेंट (डीईएस) जिसमें धात्विक डीईएस और जैव अवशोष्य वाहिका ढांचा (बीवीएस)/जैव अवक्रमणीय स्टेंट सम्मिलित हैं।	1	38933.14

नोट:.

(क) सभी मौजूदा निर्माताओं/आयातकों को कोरोनरी स्टेंट के अधिकतम खुदरा कीमत उपर्युक्त सारणी के स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट अधिकतम कीमत (वस्तु एवं सेवा कर, यदि कोई है) से कम है, जहां कही भी लागू हो, औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, **2013** के पैराग्राफ 13(2) के साथ पठित डीपीसीओ, **2013** के पैराग्राफ 16(2) के अनुसार वर्ष **2023** की अपेक्षा वर्ष **2024** के लिए **@1.74028%** की दर से थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) के आधार पर अपनी कोरोनरी स्टेंट का मौजूदा अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) को संशोधित कर सकते हैं

(ख) अगर निर्माताओं/आयातकों ने उपर्युक्त सारणी के स्तंभ (4) में वर्णित अधिकतम कीमत पर सरकार को वास्तव में भुगतान किया है या यह देय है तो वे वस्तु एवं सेवा कर को जोड़ सकते है।

(ग) औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 2013 के 24(4) के उपबंधों के अनुसार प्रत्येक फुटकर विक्रेता और वितरक विनिर्माता द्वारा दिए गए रूप में ऐसे परिसर, जहां कारोबार को इस प्रकार किया जा रहा है कि उससे परामर्श के इच्छुक किसी व्यक्ति के लिए पहुंच आसान हो, वहां उसके किसी सहजदृश्य भाग पर कीमत सूची और पूरक सूची, यदि कोई हो, को संप्रदर्शित करेगा।

(घ) विनिर्माता/आयातक या विपणन कम्पनी, उपरोक्त कथित सारणी में दर्शाये अधिकतम मूल्य और शर्तों का पालन नहीं करती हैं तो वे आवश्यक वस्तुएँ अधिनियम, 1955 के साथ पठित डीपीसीओ, 2013 के प्रावधानों के अधीन ब्याज सहित अधिप्रभारित राशि को जमा करने के लिए दायी होंगे

[का.सं./263/131/2025/एफ /फा. सं. 8(131)/2025/डीपी/ एनपीपीए.-डिवी-II]

राजेश कुमार टी, उप निदेशक

MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS

(Department of Pharmaceuticals)

(NATIONAL PHARMACEUTICAL PRICING AUTHORITY)

ORDER

New Delhi, the 27th March, 2025

S.O. 1473(E).—In continuation of the notifications issued by National Pharmaceutical Pricing Authority, Department of Pharmaceuticals, Ministry of Chemical and Fertilizers vide S.O. 639(E) dated 12.02.2018, S.O. 1464(E) dated 02.04.2018, S.O. 1488(E) dated 29.03.2019, SO. 1217(E) dated 25.03.2020, S.O. 1334(E) dated 25.03.2021, 1502(E) dated 30.03.2022, 5249(E) dated 11.11.2022, 1572(E) dated 31.03.2023, 4663(E) dated 23.10.2023, 1551(E) dated 26.03.2024 and 1605 (E) dated 03.04.2024 regarding the fixation of ceiling price of the Coronary Stents as specified in column no. (2) mentioned in the table below; after considering the Wholesale Price

Index (WPI) @ 1.74028% for the year 2024 over 2023, it has been decided to revise the ceiling prices of Coronary Stents as mentioned in column no. (4) in the table below, exclusive of Goods and Services Tax as applicable, and unit specified in column (3) with effect from 01.04.2025, as under:

TABLE

Sl. No	Coronary Stents (Sl. No. 28 in Schedule-I of the DPCO, 2013)	Unit (in Number)	Ceiling price (w.e.f. 1.4.2025 with WPI @1.74028%) (in Rs.)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Bare Metal Stents	1	10692.69
2	Drug Eluting Stents (DES) including metallic DES and Bioresorbable Vascular Scaffold (BVS)/ Biodegradable Stents	1	38933.14

Notes: -

(a) All the existing manufacturers/importers of Coronary Stents having MRP lower than the ceiling price specified in column (4) in the above table (plus Goods and Services Taxes as applicable, if any), may revise the existing MRP of Coronary Stent, on the basis of WPI @ 1.74028% for the year 2024 over 2023 in accordance with Paragraph 16(2) of DPCO, 2013, read with Para 13(2) of DPCO, 2013.

(b) The manufacturers/importers of Coronary Stents may add Goods and Services Taxes only if they have paid actually or if it is payable to the Government on the ceiling price mentioned in column (4) of the aforesaid table.

(c) As per Para 24(4) of DPCO 2013, every retailer and dealer shall display price list and the supplementary price list, if any, as furnished by the manufacturer/importers, on a conspicuous part of the premises where he carries on business in a manner so as to be easily accessible to any person wishing to consult the same.

(d) The manufacturers not complying with the ceiling price and notes specified hereinabove shall be liable to deposit the overcharged amount along with interest thereon under the provisions of the Drugs (Prices Control) Order, 2013 read with Essential Commodities Act, 1955.

[PN/263/131/2025/F/F. No. 8(131)/2025/D.P./NPPA-Div.-II]

RAJESH KUMAR T, Dy. Director

Rs. 38933.14 + taxes

Aayush NRI LEPL Health Care Pvt. Ltd. Aayush Hospitals VJA-8.